

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-27012021-224698
SG-DL-E-27012021-224698

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2021/ माघ 5, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 288
No. 28]	DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2021/MAGHA 5, 1942	[N. C. T. D. No. 288

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जनवरी, 2021

सं. फा. 6/1/2015-न्याय/अधी.विधि./80-87.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 के उपबंधों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को जिला न्यायाधीश नियुक्त करते हैं:-

- 1 श्री सुधीर कुमार जैन, पहले से ही प्रधान जिला न्यायाधीश, को प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत दिनांक 01.11.2020 से नियमित आधार पर ।
- 2 श्री रमेश कुमार-I को प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 25th January, 2021

No. F. 6/1/2015-Judl./Suptlaw/80-87.—Under the provisions of Section 20 of the Punjab Courts Act, 1918, as in force in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court of Delhi, appoints the following officers of Delhi Higher Judicial Service as Principal District Judges, as under:-

1. Mr. Sudhir Kumar Jain, already Principal District Judge under next below rule, as Principal District Judge on regular basis with effect from 01.11.2020.
2. Mr. Ramesh Kumar-I, as Principal District Judge under next below rule with effect from the date he takes over.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)